

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./43/2011

दर्ज दिनांक:-28.07.2011

1. सुक्खा पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचन्द शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी सिवायचक मकबूजा राज दर्ज रिकार्ड है। अतिक्रमियों को कोई अधिकार कानून प्राप्त नहीं होते।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर